[2021] 3 उम. नि. प. 115

राकेश और एक अन्य

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

[2021 की दांडिक अपील सं. 556]

6 जुलाई, 2021

न्यायमूर्ति डा. धनंजय वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एम. आर. शाह

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 302/34 [सपठित आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 4 और 25] – हत्या – सामान्य आशय – मुख्य अभियुक्त द्वारा मृतक पर बंदूक से गोली चलाकर क्षति कारित किया जाना और सह-अभियुक्तों द्वारा चाकुओं से क्षतियां पहुंचाना – दोषसिद्धि – जहां घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों का यह विनिर्दिष्ट साक्ष्य हो कि मुख्य अभियुक्त ने बंदूक से मृतक पर गोली चलाकर और सह-अभियुक्तों ने चाकुओं से क्षतियां कारित की थीं जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई थी तथा यह बात चिकित्सीय साक्ष्य से सिद्ध और साबित होती हो, वहां केवल प्राक्षेपिकी विज्ञानी की रिपोर्ट में बंदूक और गोली का मेल नहीं खाने के कारण प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के विश्वसनीय और भरोसेमंद साक्ष्य को नामंजूर करना संभव नहीं होगा और अभियुक्तों की दोषसिद्धि उचित है ।

इस अपील के तथ्यों के अनुसार, विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा इस अपील में दोनों अपीलार्थियों का एक अन्य अभियुक्त के साथ तारीख 28 जनवरी, 2006 को घटी एक घटना में भीष्मपाल सिंह नामक व्यक्ति की हत्या करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए विचारण किया गया था । अभियुक्त-1 राकेश पर दोषारोपित भूमिका यह थी कि उसने देशी पिस्तौल का प्रयोग करके मृतक को क्षतियां कारित की थीं और अभियुक्त-2 और अभियुक्त-3 ने मृतक पर अपने-अपने चाकुओं से हमला किया था । पूर्ण विचारण करने के पश्चात् विद्वान् विचारण

न्यायालय ने सभी अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया और उन सभी को आजीवन कारावास भुगतने का दंडादेश दिया । अभियुक्तों को आयुध अधिनियम की धारा 4/25 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए भी दोषसिद्ध किया गया जिसके लिए विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा एक अलग दंडादेश भी अधिरोपित किया गया । विद्वान् विचारण न्यायालय ने अभियुक्तों को दोषसिद्ध करते हुए अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 – प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के परिसाक्ष्यों और चिकित्सीय साक्ष्य तथा डा. संतोष कुमार-अभि. सा. 5, जिसने मृतक के शव की मरणोत्तर परीक्षा की थी, का जोरदार अवलंब लिया । विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि और दंडादेश के निर्णय से व्यथित और असंतुष्ट होकर सभी अभियुक्तों ने उच्च न्यायालय के समक्ष दांडिक अपील फाइल की । उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा उक्त अपील खारिज कर दी और भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के अधीन अपराधों के लिए अभियुक्तों की दोषसिद्धि और अधिरोपित किए गए आजीवन कारावास के दंडादेश की पुष्टि की । उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट होकर मूल अभियुक्त सं. 1-राकेश और अभियुक्त सं. 3-अनीश द्वारा उच्चतम न्यायालय में अपील फाइल की गई । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा पारित किए गए निर्णय से यह प्रतीत होता है कि न्यायालय ने अभियुक्तों को दोषसिद्ध करते हुए अभि. सा. 1, अभि. सा. 2 और अभि. सा. 5 के अभिसाक्ष्यों का जोरदार रूप से अवलंब लिया है । अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 को घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी बताया गया है । अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 के संपूर्ण अभिसाक्ष्यों और पूर्वोक्त दोनों साक्षियों की प्रतिपरीक्षा पर भी विचार करने के पश्चात् इस न्यायालय की यह दृढ़ राय है कि अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 दोनों भरोसेमंद और विश्वसनीय साक्षी हैं । घटना के समय पर मृतक के साथ उनकी मौजूदगी को अभियोजन पक्ष द्वारा सिद्ध और साबित किया गया है ।

अभि. सा. 1 और यहां तक कि अभि. सा. 2 की भी घटना के समय पर मौजूदगी स्वाभाविक है । अभि. सा. 1 मृतक का पुत्र है, जो न्यायालय में हाजिर होने के लिए मृतक के साथ गया था । इसी प्रकार, अभि. सा. 2 के लिए न्यायालय में हाजिर होना आवश्यक था और इसलिए वह न्यायालय पहुंचा था और उसके पश्चात् उसने घटना को देखा था । दोनों साक्षियों की पूरी तरह से प्रतिपरीक्षा की गई थी । कुछ छुट-पुट विरोधाभास हो सकते हैं, तथापि, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा अनेक विनिश्चयों में अभिनिर्धारित किया गया है, ऐसे छुट-पुट विरोधाभास जो मामले की तह तक न जाते हों और/या ऐसे विरोधाभास तात्विक न हों, तो ऐसे साक्षियों के साक्ष्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है और/या अविश्वसनीय नहीं कहा जा सकता है । प्रस्तुत मामले में, पूर्वोक्त दोनों साक्षियों की प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा इंगित किए गए प्रत्येक पहलू पर प्रतिपरीक्षा की गई थी । तथापि, उन्होंने अभियोजन पक्ष के पक्षकथन का पूरी तरह से समर्थन किया था । अभि. सा. 1 ने मृतक की ओर से 'बीमारी टिप्पण' देने की बात को भी स्पष्ट किया था जब प्रतिपरीक्षा में उससे ऐसा प्रश्न पूछा गया था । अभि. सा. 1 ने स्पष्ट रूप से यह कथन किया था कि जब वे पहुंचे तो मामले को पहले ही स्थगित कर दिया गया था क्योंकि विद्वान् पीठासीन अधिकारी निरीक्षण के लिए गए थे और न्यायालय में नहीं थे । उनके पहुंचने से पहले ही मामले को स्थगित कर दिया गया था । चूंकि उस समय पर जब मामला स्थगित किया गया था, मृतक और अभि. सा. 1 न्यायालय नहीं पहुंच सके थे, इसलिए विद्वान् अधिवक्ता ने बीमारी टिप्पण दिया था और छूट के लिए अनुरोध किया था । मामले को स्थगित कर दिया गया था और उसके पश्चात् ही अभि. सा. 1 और मृतक न्यायालय पहुंचे थे । अभिलेख पर के संपूर्ण साक्ष्य से यह सिद्ध और साबित होता है कि मृतक और अभि. सा. 1 न्यायालय गए थे, उसके पश्चात् मामले को स्थगित कर दिया गया था और उसके पश्चात् जब लौटते हुए वे न्यायालय से 15 से 20 मिनट दूर थे, घटना घटी थी । अभियोजन पक्ष द्वारा घटना के स्थल को सिद्ध और साबित किया गया है । अब जहां तक प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से दी गई इस दलील का संबंध है अभि. सा. 2 ने यह कथन किया

था कि वह घटनास्थल पर उसके द्वारा संदेश प्राप्त होने के पश्चात् पहुंचा था, यह आवश्यक है कि साक्ष्य का समग्र रूप से मूल्यांकन और विचार किया जाए । जब उससे यह विनिर्दिष्ट प्रश्न पूछा गया था कि पुलिस के समक्ष किए गए कथन में उसने कहा था कि वह वहां बाद में पहुंचा था, तो अभि. सा. 2 ने विनिर्दिष्ट तौर पर इस बात से इनकार किया था और उसने स्पष्ट रूप से यह कथन किया था कि उसके द्वारा पुलिस को ऐसा कोई कथन नहीं किया गया था और वह नहीं जानता कि उसके कथन में ऐसे कथन को कैसे अभिलिखित किया गया था । प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा उस व्यक्ति/अन्वेषक अधिकारी से कोई प्रश्न नहीं पूछा गया था जिसने अभि. सा. 2 का कथन अभिलिखित किया था । संपूर्ण अभिसाक्ष्य पर पूर्ण रूप से विचार करने पर हमारी यह राय है कि अभियोजन पक्ष घटना के समय और स्थान पर अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 की मौजूदगी को साबित करने में सफल रहा था । वे भरोसेमंद और विश्वसनीय पाए गए हैं । जहां तक अभियुक्तों की ओर से दी गई इस दलील का संबंध है कि जो गोली पाई गई थी, प्राक्षेपिकी विज्ञानी की रिपोर्ट के अनुसार वह अग्न्यायुध/बंदूक से नहीं मेल नहीं खाती है और इसलिए बंदूक के यथा अभिकथित प्रयोग की बात संदेहास्पद है और इसलिए संदेह का फायदा अवश्य अभियुक्तों को दिया जाना चाहिए, इस दलील को स्वीकार नहीं किया जा सकता है । अधिक से अधिक, यह कहा जा सकता है कि पुलिस द्वारा अभियुक्तों से बरामद की गई बंदूक का प्रयोग हत्या करने के लिए नहीं किया गया हो और इसलिए हत्या करने के लिए प्रयुक्त किए गए वास्तविक आयुध की बरामदगी को अनदेखा किया जा सकता है और इसे ऐसा समझा जा सकता है मानो कतई कोई बरामदगी नहीं हुई है । अभियुक्त को दोषसिद्ध करने के लिए अपराध के कारित करने में प्रयुक्त आयुध की बरामदगी होना अत्यावश्यक नहीं है । जैसा कि इसमें ऊपर मत व्यक्त किया गया है अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 घटना के विश्वसनीय और भरोसेमंद प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं और उन्होंने विनिर्दिष्ट रूप से यह कथन किया था कि अभियुक्त-1 राकेश ने बंदूक से गोली चलाई थी और मृतक को क्षति पहुंची थी । बंदूक द्वारा पहुंची क्षति को चिकित्सीय साक्ष्य और डा.

संतोष कुमार, अभि. सा. 5 के अभिसाक्ष्य से सिद्ध और साबित किया गया है । क्षति सं. 1 बंदूक की गोली से पहुंची क्षति है । अत: अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 - प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के विश्वसनीय प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य को नामंजूर करना संभव नहीं है जिन्होंने गोली चलाते हुए देखा था । इस बात का अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 के अभिसाक्ष्य की विश्वसनीयता से कोई सरोकार नहीं है कि अभियुक्त-1 ने एक बंदूक से मृतक को गोली मारी थी, विशेष रूप से चूंकि इस बात की संपुष्टि शरीर में पाई गई गोली से हुई है और अभि. सा. 2 और अभि. सा. 5 के परिसाक्ष्य द्वारा भी इस बात की संपुष्टि होती है । इसलिए केवल इस कारण कि प्राक्षेपिकी विज्ञानी की रिपोर्ट से यह दर्शित होता है कि बरामद की गई गोली का मिलान बरामद की गई बंदूक से नहीं होता है, अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 के भरोसेमंद और विश्वसनीय साक्ष्य को नामंजूर करना संभव नहीं है । अब जहां तक प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से दी गई इस दलील का संबंध है कि अधिक से अधिक यह कहा जा सकता है कि अभियुक्त-2 और अभियुक्त-3 ने शव पर क्षतियां कारित की थीं चूंकि उनके अनुसार उन्होंने क्षतियां मृतक को गोली लगने के पश्चात् जब वह नीचे गिर गया था और उसकी मृत्यु हो गई थी तब कारित की थीं । इसलिए अभियुक्त-2 और अभियुक्त-3 की ओर से यह पक्षकथन है कि शव पर क्षतियां कारित करने के कारण उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध नहीं किया जाना चाहिए था । तथापि, यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि अभियुक्त-2 और अभियुक्त-3 को भारतीय दंड संहिता की धारा 34 की सहायता से दोषसिद्ध किया गया है । इसके अतिरिक्त, अभिलेख पर यह सुझाव देने के लिए कतई कोई साक्ष्य नहीं है कि जब अभियुक्त-2 और अभियुक्त-3 द्वारा चाकुओं से मृतक को क्षति पहुंचाई गई थी और मृतक को जो क्षति सं. 2 से 8 पहुंची थी उस समय उसकी मृत्यु हो चुकी थी । प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा अभि. सा. 1 के इस अभिसाक्ष्य का अत्यधिक अवलंब लिया गया है कि उसने यह स्वीकार किया था कि बंदूक की गोली से क्षति पहुंचने के पश्चात् मृतक नीचे गिर गया था और उसकी मृत्यु हो गई थी । तथापि, उसने यह नहीं कहा है कि जब

अभियुक्त-2 और अभियुक्त-3 ने चाकुओं से क्षतियां कारित की थीं, उस समय अभियुक्त की मृत्यु हो चुकी थी । अत: प्रतिरक्षा पक्ष यह सिद्ध और साबित करने में असफल रहा है कि जब मृतक को अभियुक्त-2 और अभियुक्त-3 द्वारा प्रयुक्त किए गए चाकुओं द्वारा क्षति सं. 2 से 8 कारित की गई थी, उस समय उसकी मृत्यु हो चुकी थी । प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से यह भी पक्षकथन है कि साक्षियों/प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के अनुसार जो आयुध प्रयुक्त किया गया था वह 'छुरा' था न कि 'चाकू' और जो बरामद किया गया है वह 'चाकू' है और अभि. सा. 2 ने बाद में अपने अभिसाक्ष्य में यह सुधार किया था कि अन्य अभियुक्तों ने चाकुओं से क्षतियां कारित की थीं । प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से यह पक्षकथन है कि यहां तक कि डाक्टर ने भी अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया था कि यह कहना अत्यधिक संदेहास्पद है कि क्षतियां दोनों तरफ से काटने वाले धारदार आयुध द्वारा कारित की गई थीं । तथापि, यह उल्लेखनीय है कि डाक्टर ने उस प्रश्न का उत्तर दिया था जो उससे पूछा गया था । संपूर्ण साक्ष्य पर अभिलेख पर के अन्य साक्ष्य के साथ समग्र रूप से विचार किया जाना चाहिए । यहां-वहां से मात्र एक वाक्य और वह भी प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा प्रतिरक्षा में पूछे गए प्रश्न पर एकल रूप से विचार नहीं किया जा सकता है । अन्यथा भी, यह उल्लेखनीय है कि डाक्टर/चिकित्सा अधिकारी द्वारा जो कथन किया गया है, अधिक से अधिक इसे उसकी अपनी राय कहा जा सकता है । वह घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है । अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 ने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि अन्य अभियुक्तों ने चाकुओं से प्रहार किए थे । इस बात का समर्थन चिकित्सा साक्ष्य और अभि. सा. 2 के अभिसाक्ष्य से होता है । क्षति सं. 2 से 8 धारदार काटने वाले आयुध से कारित की गई हैं । क्षति सं. 2 से 8 शरीर के विभिन्न अंगों पर हैं जिससे अन्य अभियुक्तों अभि.-2 और अभि.-3 का आशय और आचरण दर्शित होता है । अत: उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 34 की सहायता से भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए ठीक ही दोषसिद्ध किया गया है । उनकी मौजूदगी और भागीदारी को अभियोजन पक्ष द्वारा अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 की परीक्षा

करके सिद्ध और साबित किया गया है, जो विश्वसनीय और भरोसेमंद साक्षी पाए गए हैं । प्रस्तुत मामले में, अभियोजन पक्ष हेतु को साबित करने में सफल रहा है । मृतक और अभियुक्त-1 के बीच पहले से चली आ रही पुरानी दुश्मनी थी । यहां तक कि मृतक भी अभियुक्त-1 की प्रेरणा पर भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अधीन अपराध के लिए विचारण का सामना कर रहा था । प्रतिरक्षा पक्ष ऐसी किन्हीं परिस्थितियों को साबित करने में असफल रहा है जिनके द्वारा यह कहा जा सकता हो कि उन्हें इस मामले में मिथ्या रूप से फंसाया गया है । उपरोक्त को दृष्टिगत करते हुए और ऊपर उल्लिखित कारणों से, इस न्यायालय के किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । विद्वान् विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए ठीक ही दोषसिद्ध किया गया है । जहां तक अभियुक्त-1 का संबंध है, उसके विरुद्ध उसके द्वारा बंदूक का प्रयोग करने और अभियुक्त को गोली मारने का प्रत्यक्ष साक्ष्य है । अत: उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 34 की सहायता के बिना भी भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जा सकता है । जैसा कि इसमें ऊपर मत व्यक्त किया गया है, दोनों निचले न्यायालयों ने अभियुक्त-1 को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए और अन्य अभियुक्तों – अभि. 2 और अभि. 3 को भारतीय दंड संहिता की धारा 34 की सहायता से भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए ठीक ही दोषसिद्ध किया है । (पैरा 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2018]	(2018) 8 एस. सी. सी. 127 : **प्रभु दयाल** बनाम **राजस्थान राज्य** ;	7
[2017]	(2017) 4 एस. सी. सी. 161 : **हिमांशु मोहन राय** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** ;	7.1

[2017] (2017) 11 एस. सी. सी. 195 :
योगेश सिंह बनाम **महाबीर सिंह** । 7

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2021 की दांडिक अपील सं. 556.

2008 की दांडिक अपील सं. 2811 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा तारीख 10 सितंबर, 2018 को पारित किए गए निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

हाजिर होने वाले पक्षकारों की ओर से सर्वश्री ऋषि मल्होत्रा, न्याय मित्र, विनोद दिवाकर, अपर महाधिवक्ता और अर्जुन दीवान

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति एम. आर. शाह ने दिया ।

न्या. शाह – मूल अभियुक्त सं. 1 और 3 ने 2008 की दांडिक अपील सं. 2811 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा तारीख 10 सितंबर, 2018 को पारित किए गए उस आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट होकर यह अपील फाइल की है, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी-मूल अभियुक्तों द्वारा विद्वान् अपर जिला और सेशन न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय सं. 2, हाथरस (जिसे इसमें इसके पश्चात् "विचारण न्यायालय" कहा गया है) द्वारा पारित भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए अपनी दाषसिद्धि को चुनौती देते हुए फाइल की गई उक्त अपील को खारिज कर दिया था ।

2. इस अपील में के दोनों अपीलार्थियों का विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा एक अन्य अभियुक्त-सुरेश के साथ तारीख 28 जनवरी, 2006 को घटी एक घटना में भीष्मपाल सिंह नामक व्यक्ति की हत्या करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए विचारण किया गया था । अभियुक्त-1 राकेश पर दोषारोपित भूमिका यह थी कि उसने देशी पिस्तौल का प्रयोग करके मृतक को क्षतियां कारित की थीं । यह अभिकथन किया गया था कि जहां तक सुरेश और अनीश – अभियुक्त-2

और अभियुक्त-3 का संबंध है, उन्होंने मृतक पर अपने-अपने चाकुओं से हमला किया था । पूर्ण विचारण करने के पश्चात् विद्वान् विचारण न्यायालय ने सभी अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया और उन सभी को आजीवन कारावास भुगतने का दंडादेश दिया । अभियुक्तों को आयुध अधिनियम की धारा 4/25 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए भी दोषसिद्ध किया गया जिसके लिए विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा एक अलग दंडादेश भी अधिरोपित किया गया । विद्वान् विचारण न्यायालय ने अभियुक्तों को दोषसिद्ध करते हुए अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 – प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के परिसाक्ष्यों और चिकित्सीय साक्ष्य तथा डा. संतोष कुमार-अभि. सा. 5, जिसने मृतक के शव की मरणोत्तर परीक्षा की थी, का जोरदार अवलंब लिया ।

3. विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध और आजीवन कारावास का दंडादेश अधिरोपित करते हुए तथा आयुध अधिनियम के अधीन अपराधों के लिए भी दोषसिद्धि और दंडादेश के निर्णय से व्यथित और असंतुष्ट होकर सभी अभियुक्तों ने उच्च न्यायालय के समक्ष 2008 की दांडिक अपील सं. 2811 फाइल की थी । उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा उक्त अपील खारिज कर दी और भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के अधीन अपराधों के लिए अभियुक्तों की दोषसिद्धि और अधिरोपित किए गए आजीवन कारावास के दंडादेश की पुष्टि की ।

4. उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट होकर मूल अभियुक्त सं. 1-राकेश और अभियुक्त सं. 3-अनीश ने यह अपील फाइल की है । यह प्रतीत होता है कि मूल अभियुक्त सं. 2-सुरेश ने कोई अपील फाइल नहीं की है ।

5. श्री ऋषि मल्होत्रा, विद्वान् न्याय मित्र अपीलार्थियों की ओर से और श्री विनोद दिवाकर, विद्वान् अपर महाधिवक्ता उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से तथा श्री अर्जुन दीवान, विद्वान् अधिवक्ता मूल शिकायतकर्ता

की ओर से हाजिर हुए ।

5.1 श्री ऋषि मल्होत्रा, विद्वान् न्यायमित्र ने जोरदार रूप से यह दलील दी कि विद्वान् विचारण न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों ने अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 के अभिसाक्ष्यों का अवलंब लेकर अभियुक्तों को दोषसिद्ध करके गलती की थी ।

5.2 जोरदार रूप से यह दलील दी गई कि जहां तक अभि. सा. 2 का संबंध है, उसकी घटना के समय पर घटनास्थल पर मौजूदगी पूर्ण रूप से संदेहास्पद है । यह दलील दी गई कि यहां तक कि उसका भी यह कथन है कि वह घटना घटने के पश्चात् आया था । यह दलील दी गई कि इसलिए उसने प्रतिपरीक्षा में विनिर्दिष्ट रूप से यह स्वीकार किया था कि जब वे 10.30 बजे पूर्वाह्न में न्यायालय पहुंचे थे, तो सुनवाई की अगली तारीख दी गई थी, चूंकि पीठासीन अधिकारी वहां नहीं थे । यह दलील दी गई कि उसका इस तथ्य से भी सामना कराया गया था कि वह घटना के बारे में सूचना प्राप्त होने के पश्चात् ही घटनास्थल पर आया था । यह दलील दी गई कि अभि. सा. 2 ने विनिर्दिष्ट रूप से यह स्वीकार किया था कि वह 10.00 बजे पूर्वाह्न में मृतक और अभि. सा. 1 से पहले न्यायालय पहुंचा था और उस मामले में अभियुक्त की उपसंजाति से छूट के लिए आवेदन दिया था । अपीलार्थियों की ओर हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल के अनुसार, उसने यह भी स्वीकार किया था कि तारीख 29 जनवरी, 2006 को वह अकेला न्यायालय आया था और तारीख 28 जनवरी, 2006 को सवेरे मृतक के साथ कोई बातचीत नहीं हुई थी । यह दलील दी गई कि इसलिए अभि. सा. 2 के अभिसाक्ष्य का कोई अवलंब नहीं लिया जा सकता था ।

5.3 विद्वान् न्याय मित्र द्वारा यह भी दलील दी गई कि यह एक स्वीकृत स्थिति है कि अभियुक्तों और मृतक के बीच और यहां तक कि अभि. सा. 1 के साथ भी पहले से दुश्मनी थी और वाद-विवाद था । यह दलील दी गई कि मृतक अभियुक्त-1 – राकेश पर हत्या का प्रयत्न करने के अभिकथन के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अधीन दांडिक विचारण का सामना कर रहा था । यह दलील दी गई कि

इसलिए अभियुक्त-1 – राकेश को मिथ्या रूप से फंसाए जाने की पूरी संभावना है ।

5.4 यह भी दलील दी गई कि जहां तक अन्य अभियुक्तों अभि. 2 और अभि. 3 अर्थात् सुरेश और अनीश का संबंध है, प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य तथा चिकित्सीय साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि उन्होंने मृतक पर क्षतियां उसकी मृत्यु होने के पश्चात् अर्थात् शव पर कारित की थीं । यह दलील दी गई कि इसलिए जब उन्होंने क्षतियां शव पर अर्थात् बंदूक की गोली से मृतक की मृत्यु होने के पश्चात् कारित की थीं तो उन्हें धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है, चूंकि जिस समय अभियुक्त-2 और अभियुक्त-3 ने अभिकथित रूप से क्षतियां कारित की थीं, उस समय मृतक की मृत्यु हो गई थी । यह दलील दी गई कि यहां तक कि अभि. सा. 1 ने भी अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया था कि जिस क्षण मृतक को बंदूक की गोली से क्षतियां पहुंची थीं, वह नीचे गिर गया था और उसकी मृत्यु हो गई थी ।

5.5 आगे यह भी दलील दी गई कि यहां तक कि अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 के अनुसार भी मामले को पहले ही स्थगित कर दिया गया था और मृतक की ओर से 'बीमारी का टिप्पण' दिया गया था । यह दलील दी गई कि इसलिए जब 'बीमारी का टिप्पण' दिया गया था और मामला पहले ही स्थगित कर दिया गया था, तो मृतक और अभि. सा. 1 के लिए न्यायालय में आने का कोई कारण नहीं था । यह दलील दी गई कि यह बहुत ही संदेहास्पद है कि मृतक और अभि. सा. 1 न्यायालय पहुंचे थे और/या न्यायालय कक्ष में गए थे ।

5.6 अपीलार्थियों की ओर हाजिर होने वाले विद्वान् न्याय मित्र द्वारा यह भी दलील दी गई कि जहां तक अभियुक्त-2 और अभियुक्त-3 द्वारा आयुध का प्रयोग करने का संबंध है, इसमें तात्विक विरोधाभास हैं । यह दलील दी गई कि जो बरामद किया गया था वह 'चाकू' था और अभि. सा. 2 ने स्पष्ट रूप से यह कथन किया था कि मृतक पर 'छुरे' से हमला किया गया था न कि 'चाकू' से ।

5.7 यह दलील दी गई कि 'छुरे' और 'चाकू' के बीच फर्क है । यह

दलील दी गई कि डा. संतोष कुमार-अभि. सा. 5 ने विनिर्दिष्ट रूप से यह स्वीकार किया था कि क्षति सं. 2 से 8 (विदीर्ण क्षतियां) चाकू घोंपकर कारित नहीं की जा सकती थीं । यह दलील दी गई कि डाक्टर ने प्रतिपरीक्षा में विनिर्दिष्ट रूप से यह स्वीकार किया था कि विदीर्ण क्षतियां सं. 2 से 8 का उल्लेख स्पष्ट रूप से कटी हुई क्षतियों के रूप में नहीं किया गया है और यह कहना मुश्किल है कि अभिकथित आयुध दोनों तरफ से धारदार नहीं था ।

5.8 यह भी दलील दी गई कि साक्ष्य में यह भी आया है कि प्राक्षेपिकी विज्ञानी की रिपोर्ट के अनुसार गोली का मिलान अभियुक्त राकेश द्वारा प्रयुक्त की गई अभिकथित पिस्तौल से नहीं हुआ था ।

5.9 यह दलील दी गई कि अपीलार्थी जनवरी, 2006 से अभिरक्षा में हैं और पहले ही 15 वर्षों से अधिक का दंडादेश भुगत लिया है ।

5.10 उपरोक्त दलीलें देने के पश्चात् यह अनुरोध किया गया कि वर्तमान अपील को मंजूर किया जाए और विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा अधिरोपित दोषसिद्धि और दंडादेश, जिसकी उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई है, अभिखंडित और अपास्त किया जाए ।

6. उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् अपर महाधिवक्ता, श्री विनोद दिवाकर ने जोरदार रूप से यह दलील दी कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थियों को दोषसिद्ध करने में अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 के अभिसाक्ष्यों का अवलंब लेकर कोई गलती कारित नहीं की है ।

6.1 यह दलील दी गई कि अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 दोनों भरोसेमंद और विश्वसनीय साक्षी हैं । यह दलील दी गई कि घटना के समय पर उनकी मौजूदगी को अभियोजन पक्ष द्वारा अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 की परीक्षा करके सिद्ध और साबित किया गया था । यह दलील दी गई कि अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 दोनों की पूरी तरह से प्रतिपरीक्षा की गई थी और अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 के संपूर्ण साक्ष्य/अभिसाक्ष्य पर विचार करते हुए घटना के समय उनकी मौजूदगी को सिद्ध और साबित किया गया था । यह दलील दी गई कि उस प्रत्येक

पहलू पर, जिस पर अभियुक्तों-प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल द्वारा दलीलें दी गई थीं, अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 की प्रतिपरीक्षा की गई थी । यह दलील दी गई कि उसके पश्चात् अभिलेख पर के संपूर्ण साक्ष्य का मूल्यांकन करके विद्वान् विचारण न्यायालय ने अभियुक्तों को दोषसिद्ध किया था और उच्च न्यायालय द्वारा ठीक ही उसकी पुष्टि की गई थी ।

6.2 यह दलील दी गई कि प्रस्तुत मामले में हेतु को सिद्ध और साबित किया गया था । यह दलील दी गई कि प्रतिरक्षा पक्ष यह सिद्ध और साबित करने में असफल रहा था कि उन्हें मामले में मिथ्या रूप से फंसाया गया था ।

6.3 उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् अपर महाधिवक्ता द्वारा यह भी दलील दी गई कि अभिलेख पर ऐसा कुछ नहीं है और/या अभिलेख पर यह सुझाव देने के लिए भी कोई साक्ष्य नहीं है कि अभियुक्त-2 और अभियुक्त-3 ने मृतक पर क्षतियां उस समय कारित की थीं जब उसकी मृत्यु हो गई थी । यह दलील दी गई कि पूर्वोक्त प्रतिरक्षा न तो अभि. सा. 1 और न ही अभि. सा. 2 तथा यहां तक कि अभि. सा. 5 के अभिसाक्ष्य से कतई प्रकट होती है ।

6.4 यह दलील दी गई कि इसलिए अभियोजन पक्ष ने पूरी तरह से यह सिद्ध और साबित किया था कि तारीख 28 जनवरी, 2006 को मृतक, अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 न्यायालय में हाजिर हुए थे । यह दलील दी गई कि तथापि, उस तारीख को न्यायालय उपलब्ध नहीं था क्योंकि विद्वान् पीठासीन अधिकारी निरीक्षण पर थे और इसलिए उनके पहुंचने से पूर्व ही मामले को स्थगित कर दिया गया था । यह दलील दी गई कि मृतक की ओर से दिए गए 'बीमारी टिप्पण' के बारे में अभि. सा. 1 द्वारा पहले ही अपने अभिसाक्ष्य में स्पष्ट कर दिया गया था ।

6.5 यह भी दलील दी गई कि प्रस्तुत मामले में अभियुक्तों द्वारा प्रयुक्त किए गए आयुध/आयुधों की बरामदगी को भी सिद्ध और साबित किया गया था ।

6.6 यह भी दलील दी गई कि यहां तक कि अभियुक्तों ने यह

साबित करने के लिए कोई साक्ष्य पेश नहीं किया था कि वे घटना के समय पर घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे और यह कि वे कहीं और मौजूद थे ।

7. मूल शिकायतकर्ता की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् अधिवक्ता, श्री अर्जुन दीवान ने उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् अपर महाधिवक्ता द्वारा दी गई दलीलों को अंगीकार किया । इसके अतिरिक्त, शिकायतकर्ता की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल द्वारा जोरदार रूप से दलील दी गई कि अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 का साक्ष्य विश्वसनीय है । यह दलील दी गई कि घटना के समय पर उनकी मौजूदगी को सिद्ध और साबित किया गया है । यह दलील दी गई कि अभि. सा. 2 ने सतत रूप से यह कथन किया था कि उसने इस अपील में अभियुक्तों को एक मोटरसाइकिल पर मृतक की ओर जाते हुए देखा था और उसने अभियुक्त सं. 1-राकेश को मृतक पर गोली चलाते हुए और अभियुक्त सं. 2 - सुरेश को चाकू से मृतक पर हमला करते हुए देखा था । यह दलील दी गई कि कुछ छुट-पुट विरोधाभास हो सकते हैं किंतु जैसा कि इस न्यायालय द्वारा **योगेश सिंह** बनाम **महाबीर सिंह**[1] और **प्रभु दयाल** बनाम **राजस्थान राज्य**[2] वाले मामलों में अभिनिर्धारित किया गया है कि ऐसी छुट-पुट विसंगतियों को असम्यक् महत्व नहीं दिया जाना चाहिए जो मामले की तह तक न जाती हों ।

7.1 अब जहां तक अभियुक्तों की ओर से दी गई इस दलील का संबंध है कि प्राक्षेपिकी विज्ञानी की रिपोर्ट के अनुसार पाई गई गोलियों का मिलान बरामद की गई बंदूक के साथ नहीं हुआ था, यह दलील दी गई कि जैसा कि इस न्यायालय द्वारा **हिमांशु मोहन राय** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य**[3] वाले मामले में अभिनिर्धारित किया गया है, ऐसे मामले में जहां प्राक्षेपिकी विज्ञानी की रिपोर्ट साक्षियों के साक्ष्य के प्रतिकूल है किंतु

---

[1] (2017) 11 एस. सी. सी. 195.

[2] (2018) 8 एस. सी. सी. 127.

[3] (2017) 4 एस. सी. सी. 161.

साक्षियों के कथनों से न्यायालय का विश्वास प्रेरित होता है और भरोसेमंद और विश्वसनीय ठहराए गए हैं, तब प्राक्षेपिकी विज्ञानी और किसी विश्वसनीय साक्षी के साक्ष्य के बीच विरोधाभास ऐसे साक्षी के साक्ष्य को नामंजूर करने का आधार नहीं हो सकता है । यह दलील दी गई कि अधिक से अधिक आयुध/बंदूक की बरामदगी पर विश्वास न किया जाए, किंतु जब अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 ने विनिर्दिष्ट रूप से यह कथन किया है कि वह अभियुक्त-1 था जिसने गोली चलाई थी और अभियुक्त को क्षति कारित की थी, जिसका पूरी तरह से समर्थन चिकित्सीय साक्ष्य-क्षति सं. 1 से होता है और वास्तव में मृतक के शरीर पर बंदूक की गोली से कारित की गई क्षति थी और इसलिए पूर्वोक्त पहलू पर अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 का चिकित्सीय साक्ष्य से पूरी तरह समर्थन होता है इसलिए पूर्वोक्त दलील अभियुक्तों को दोषमुक्त करने का आधार नहीं हो सकता है ।

7.2 यह दलील दी गई कि अभियुक्त-1 के बताने पर चाकू की बरामदगी हुई थी । यह दलील दी गई कि इसलिए बरामद चाकू के संबंध में डा. संतोष कुमार-अभि. सा. 5 से क्षति सं. 2 से 8 कारित करने के संबंध में कोई प्रश्न नहीं पूछा गया था ।

7.3 यह भी दलील दी गई कि यहां तक कि बरामदगी ज्ञापन, जो अन्वेषण के दौरान तुरंत लिया गया था, पर अभि. सा. 1 के हस्ताक्षर थे । यह दलील दी गई कि अत: अभि. सा. 1 की मौजूदगी को पहले ही सिद्ध और साबित किया गया है ।

7.4 यह भी दलील दी गई कि इसलिए विद्वान् विचारण न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा अभिलिखित किए गए एक जैसे तथ्य के निष्कर्ष हैं, जो अभिलेख पर के साक्ष्य के मूल्यांकन पर आधारित हैं । यह दलील दी गई कि अत: विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा अधिरोपित दोषसिद्धि और दंडादेश के आक्षेपित निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई मामला नहीं बनता है, जिसकी पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा की गई थी ।

8. हमने संबंधित पक्षकारों की ओर से विद्वान् काउंसेलों को

विस्तारपूर्वक सुना । हमने विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि और दंडादेश के निर्णय और आदेश तथा उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश पर सावधानीपूर्वक परिशीलन किया । हमने अभिलेख पर के संपूर्ण साक्ष्य का, विशिष्ट रूप से अभि. सा. 1, अभि. सा. 2 और अभि. सा. 5 के अभिसाक्ष्यों का भी पुनर्मूल्यांकन भी किया । हमने मृतक के शव पर पाई गई क्षतियों पर भी विचार किया ।

9. विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा पारित किए गए निर्णय से यह प्रतीत होता है कि न्यायालय ने अभियुक्तों को दोषसिद्ध करते हुए अभि. सा. 1, अभि. सा. 2 और अभि. सा. 5 के अभिसाक्ष्यों का जोरदार रूप से अवलंब लिया है । अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 को घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी बताया गया है । अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 के संपूर्ण अभिसाक्ष्यों और पूर्वोक्त दोनों साक्षियों की प्रतिपरीक्षा पर भी विचार करने के पश्चात् हमारी यह दृढ़ राय है कि अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 दोनों भरोसेमंद और विश्वसनीय साक्षी हैं । घटना के समय पर मृतक के साथ उनकी मौजूदगी को अभियोजन पक्ष द्वारा सिद्ध और साबित किया गया है । अभि. सा. 1 और यहां तक कि अभि. सा. 2 की भी घटना के समय पर मौजूदगी स्वाभाविक है । अभि. सा. 1 मृतक का पुत्र है, जो न्यायालय में हाजिर होने के लिए मृतक के साथ गया था । इसी प्रकार, अभि. सा. 2 के लिए न्यायालय में हाजिर होना आवश्यक था और इसलिए वह न्यायालय पहुंचा था और उसके पश्चात् उसने घटना को देखा था । दोनों साक्षियों की पूरी तरह से प्रतिपरीक्षा की गई थी । कुछ छुट-पुट विरोधाभास हो सकते हैं, तथापि, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा अनेक विनिश्चयों में अभिनिर्धारित किया गया है, ऐसे छुट-पुट विरोधाभास जो मामले की तह तक न जाते हों और/या ऐसे विरोधाभास तात्विक न हों, तो ऐसे साक्षियों के साक्ष्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है और/या अविश्वसनीय नहीं कहा जा सकता है । प्रस्तुत मामले में, पूर्वोक्त दोनों साक्षियों की प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा इंगित किए गए प्रत्येक पहलू पर प्रतिपरीक्षा की गई थी । तथापि, उन्होंने अभियोजन पक्ष के पक्षकथन का पूरी तरह से समर्थन किया था । अभि. सा. 1 ने मृतक की ओर से 'बीमारी टिप्पण' देने की बात को भी स्पष्ट किया था जब प्रतिपरीक्षा में उससे ऐसा प्रश्न पूछा गया था । अभि. सा. 1 ने

स्पष्ट रूप से यह कथन किया था कि जब वे पहुंचे तो मामले को पहले ही स्थगित कर दिया गया था क्योंकि विद्वान् पीठासीन अधिकारी निरीक्षण के लिए गए थे और न्यायालय में नहीं थे । उनके पहुंचने से पहले ही मामले को स्थगित कर दिया गया था । चूंकि उस समय पर जब मामला स्थगित किया गया था, मृतक और अभि. सा. 1 न्यायालय नहीं पहुंच सके थे, इसलिए विद्वान् अधिवक्ता ने बीमारी टिप्पण दिया था और छूट के लिए अनुरोध किया था । मामले को स्थगित कर दिया गया था और उसके पश्चात् ही अभि. सा. 1 और मृतक न्यायालय पहुंचे थे । अभिलेख पर के संपूर्ण साक्ष्य से यह सिद्ध और साबित होता है कि मृतक और अभि. सा. 1 न्यायालय गए थे, उसके पश्चात् मामले को स्थगित कर दिया गया था और उसके पश्चात् जब लौटते हुए वे न्यायालय से 15 से 20 मिनट दूर थे, घटना घटी थी । अभियोजन पक्ष द्वारा घटना के स्थल को सिद्ध और साबित किया गया है ।

10. अब जहां तक प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से दी गई इस दलील का अभि. सा. 2 ने यह कथन किया था कि वह घटनास्थल पर उसके द्वारा संदेश प्राप्त होने के पश्चात् पहुंचा था, संबंध है, यह आवश्यक है कि साक्ष्य का समग्र रूप से मूल्यांकन और विचार किया जाए । जब उससे यह विनिर्दिष्ट प्रश्न पूछा गया था कि पुलिस के समक्ष किए गए कथन में उसने कहा था कि वह वहां बाद में पहुंचा था, तो अभि. सा. 2 ने विनिर्दिष्ट तौर पर इस बात से इनकार किया था और उसने स्पष्ट रूप से यह कथन किया था कि उसके द्वारा पुलिस को ऐसा कोई कथन नहीं किया गया था और वह नहीं जानता कि उसके कथन में ऐसे कथन को कैसे अभिलिखित किया गया था । प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा उस व्यक्ति/अन्वेषक अधिकारी से कोई प्रश्न नहीं पूछा गया था जिसने अभि. सा. 2 का कथन अभिलिखित किया था । संपूर्ण अभिसाक्ष्य पर पूर्ण रूप से विचार करने पर हमारी यह राय है कि अभियोजन पक्ष घटना के समय और स्थान पर अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 की मौजूदगी को साबित करने में सफल रहा था । वे भरोसेमंद और विश्वसनीय पाए गए हैं ।

11. जहां तक अभियुक्तों की ओर से दी गई इस दलील का संबंध है कि जो गोली पाई गई थी, प्राक्षेपिकी विज्ञानी की रिपोर्ट के अनुसार वह अग्न्यायुध/बंदूक से नहीं मेल नहीं खाती है और इसलिए बंदूक के

यथा अभिकथित प्रयोग की बात संदेहास्पद है और इसलिए संदेह का फायदा अवश्य अभियुक्तों को दिया जाना चाहिए, इस दलील को स्वीकार नहीं किया जा सकता है । अधिक से अधिक, यह कहा जा सकता है कि पुलिस द्वारा अभियुक्तों से बरामद की गई बंदूक का प्रयोग हत्या करने के लिए नहीं किया गया हो और इसलिए हत्या करने के लिए प्रयुक्त किए गए वास्तविक आयुध की बरामदगी को अनदेखा किया जा सकता है और इसे ऐसा समझा जा सकता है मानो कतई कोई बरामदगी नहीं हुई है । अभियुक्त को दोषसिद्ध करने के लिए अपराध के कारित करने में प्रयुक्त आयुध की बरामदगी होना अत्यावश्यक नहीं है । जैसा कि इसमें ऊपर मत व्यक्त किया गया है अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 घटना के विश्वसनीय और भरोसेमंद प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं और उन्होंने विनिर्दिष्ट रूप से यह कथन किया था कि अभियुक्त-1 राकेश ने बंदूक से गोली चलाई थी और मृतक को क्षति पहुंची थी । बंदूक द्वारा पहुंची क्षति को चिकित्सीय साक्ष्य और डा. संतोष कुमार, अभि. सा. 5 के अभिसाक्ष्य से सिद्ध और साबित किया गया है । क्षति सं. 1 बंदूक की गोली से पहुंची क्षति है । अत: अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 - प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के विश्वसनीय प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य को नामंजूर करना संभव नहीं है जिन्होंने गोली चलाते हुए देखा था । इस बात का अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 के अभिसाक्ष्य की विश्वसनीयता से कोई सरोकार नहीं है कि अभियुक्त-1 ने एक बंदूक से मृतक को गोली मारी थी, विशेष रूप से चूंकि इस बात की संपुष्टि शरीर में पाई गई गोली से हुई है और अभि. सा. 2 और अभि. सा. 5 के परिसाक्ष्य द्वारा भी इस बात की संपुष्टि होती है । इसलिए केवल इस कारण कि प्राक्षेपिकी विज्ञानी की रिपोर्ट से यह दर्शित होता है कि बरामद की गई गोली का मिलान बरामद की गई बंदूक से नहीं होता है, अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 के भरोसेमंद और विश्वसनीय साक्ष्य को नामंजूर करना संभव नहीं है ।

12. अब जहां तक प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से दी गई इस दलील का संबंध है कि अधिक से अधिक यह कहा जा सकता है कि अभियुक्त-2 और अभियुक्त-3 ने शव पर क्षतियां कारित की थीं चूंकि उनके अनुसार उन्होंने क्षतियां मृतक को गोली लगने के पश्चात् जब वह नीचे गिर गया

था और उसकी मृत्यु हो गई थी तब कारति की थीं । इसलिए अभियुक्त-2 और अभियुक्त-3 की ओर से यह पक्षकथन है कि शव पर क्षतियां कारित करने के कारण उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध नहीं किया जाना चाहिए था । तथापि, यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि अभियुक्त-2 और अभियुक्त-3 को भारतीय दंड संहिता की धारा 34 की सहायता से दोषसिद्ध किया गया है । इसके अतिरिक्त, अभिलेख पर यह सुझाव देने के लिए कतई कोई साक्ष्य नहीं है कि जब अभियुक्त-2 और अभियुक्त-3 द्वारा चाकुओं से मृतक को क्षति पहुंचाई गई थी और मृतक को जो क्षति सं. 2 से 8 पहुंची थीं उस समय उसकी मृत्यु हो चुकी थी । प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा अभि. सा. 1 के इस अभिसाक्ष्य का अत्यधिक अवलंब लिया गया है कि उसने यह स्वीकार किया था कि बंदूक की गोली से क्षति पहुंचने के पश्चात् मृतक नीचे गिर गया था और उसकी मृत्यु हो गई थी । तथापि, उसने यह नहीं कहा है कि जब अभियुक्त-2 और अभियुक्त-3 ने चाकुओं से क्षतियां कारित की थीं, उस समय अभियुक्त की मृत्यु हो चुकी थी । अत: प्रतिरक्षा पक्ष यह सिद्ध और साबित करने में असफल रहा है कि जब मृतक को अभियुक्त-2 और अभियुक्त-3 द्वारा प्रयुक्त किए गए चाकुओं द्वारा क्षति सं. 2 से 8 कारित की गई थी, उस समय उसकी मृत्यु हो चुकी थी ।

13. प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से यह भी पक्षकथन है कि साक्षियों/प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के अनुसार जो आयुध प्रयुक्त किया गया था वह 'छुरा' था न कि 'चाकू' और जो बरामद किया गया है वह 'चाकू' है और अभि. सा. 2 ने बाद में अपने अभिसाक्ष्य में यह सुधार किया था कि अन्य अभियुक्तों ने चाकुओं से क्षतियां कारित की थीं । प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से यह पक्षकथन है कि यहां तक कि डाक्टर ने भी अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया था कि यह कहना अत्यधिक संदेहास्पद है कि क्षतियां दोनों तरफ से काटने वाले धारदार आयुध द्वारा कारित की गई थीं । तथापि, यह उल्लेखनीय है कि डाक्टर ने उस प्रश्न का उत्तर दिया था जो उससे पूछा गया था । संपूर्ण साक्ष्य पर अभिलेख पर के अन्य साक्ष्य के साथ समग्र रूप से विचार किया जाना चाहिए । यहां-वहां

से मात्र एक वाक्य और वह भी प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा प्रतिरक्षा में पूछे गए प्रश्न पर एकल रूप से विचार नहीं किया जा सकता है । अन्यथा भी, यह उल्लेखनीय है कि डाक्टर/चिकित्सा अधिकारी द्वारा जो कथन किया गया है, अधिक से अधिक इसे उसकी अपनी राय कहा जा सकता है । वह घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है । अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 ने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि अन्य अभियुक्तों ने चाकुओं से प्रहार किए थे । इस बात का समर्थन चिकित्सा साक्ष्य और अभि. सा. 2 के अभिसाक्ष्य से होता है । क्षति सं. 2 से 8 धारदार काटने वाले आयुध से कारित की गई हैं । क्षति सं. 2 से 8 शरीर के विभिन्न अंगों पर हैं जिससे अन्य अभियुक्तों अभि.-2 और अभि.-3 का आशय और आचरण दर्शित होता है । अत: उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 34 की सहायता से भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए ठीक ही दोषसिद्ध किया गया है । उनकी मौजूदगी और भागीदारी को अभियोजन पक्ष द्वारा अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 की परीक्षा करके सिद्ध और साबित किया गया है, जो विश्वसनीय और भरोसेमंद साक्षी पाए गए हैं ।

14. प्रस्तुत मामले में, अभियोजन पक्ष हेतु को साबित करने में सफल रहा है । मृतक और अभियुक्त-1 के बीच पहले से चली आ रही पुरानी दुश्मनी थी । यहां तक कि मृतक भी अभियुक्त-1 की प्रेरणा पर भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अधीन अपराध के लिए विचारण का सामना कर रहा था । प्रतिरक्षा पक्ष ऐसी किन्हीं परिस्थितियों को साबित करने में असफल रहा है जिनके द्वारा यह कहा जा सकता हो कि उन्हें इस मामले में मिथ्या रूप से फंसाया गया है ।

15. उपरोक्त को दृष्टिगत करते हुए और ऊपर उल्लिखित कारणों से, इस न्यायालय के किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । विद्वान् विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए ठीक ही दोषसिद्ध किया गया है । जहां तक अभियुक्त-1 का संबंध है, उसके विरुद्ध उसके द्वारा बंदूक का प्रयोग करने और अभियुक्त को गोली मारने का प्रत्यक्ष साक्ष्य है । अत: उसे भारतीय दंड संहिता की

धारा 34 की सहायता के बिना भी भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जा सकता है । जैसा कि इसमें ऊपर मत व्यक्त किया गया है, दोनों निचले न्यायालयों ने अभियुक्त-1 को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए और अन्य अभियुक्तों – अभि. 2 और अभि. 3 को भारतीय दंड संहिता की धारा 34 की सहायता से भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए ठीक ही दोषसिद्ध किया है । इन परिस्थितियों में, यह अपील असफल होती है और खारिज किए जाने योग्य है तथा तद्नुसार खारिज की जाती है ।

अपील खारिज की गई ।

जस.

[2021] 3 उम. नि. प. 135

सय्यद अयाज अली

बनाम

प्रकाश जी. गोयल और अन्य

[2021 की सिविल अपील सं. 2401-2402]

20 जुलाई, 2021

न्यायमूर्ति डा. धनंजय वाई. चद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एम. आर. शाह

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) – आदेश 7, नियम 11, धारा 2(2) और 96 – वादपत्र का नामंजूर किया जाना – वादी को उपलब्ध उपचार – चूंकि विचारण न्यायालय का वादपत्र को नामंजूर करने वाला आदेश 'डिक्री' की परिभाषा के अंतर्गत आता है, इसलिए ऐसे आदेश के विरुद्ध धारा 96 के अधीन प्रथम अपील फाइल की जाएगी और संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन रिट याचिका फाइल करके उपचार की ईप्सा नहीं की जा सकती है ।